



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www.rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक:-प.14(114)RSSB/अर्थना/Jra & Tra/संयुक्त भर्ती/2023/

दिनांक:-

--:: कार्यालय आदेश ::--

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती-2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच

बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती-2023 में कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4911 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 279 कुल 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 198 पदों हेतु परीक्षा दिनांक 11.02.2024 को आयोजित की गयी थी। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम दिनांक 27.06.2024 को जारी कर लगभग दो गुना (200 प्रतिशत) (कुल 10519) अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अनंतिम रूप से (Provisionally) सूचीबद्ध किया गया था। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जायेगा।

अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म दिनांक 16.08.2024 से 22.08.2024 तक खोला जाएगा। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म के साथ मूल दस्तावेज को ऑनलाईन आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने है तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाईन ही किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए उक्त दिनांक तक <https://sso.rajasthan.gov.in> > **RECRUITMENT PORTAL** > **MY RECRUITMENT** > **DETAILED FORM CUM SCRUTINY** पर जाकर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती-2023 के लिंक के सामने **APPLY NOW** के माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाईन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100/- रुपये ऑनलाईन भुगतान करें।

दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा उनकी वेबसाईट dta.rajasthan.gov.in पर पृथक से जारी किया जावेगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज को ही स्कैन करवाकर रंगीन स्केन्ड दस्तावेज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें:-(नोट: ई-मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना/दस्तावेज अपलोड किये जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/अभ्यर्थी की ही होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन Final Submit करने से पूर्व, दर्ज की गयी सूचनाओं एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।)

1. अंकपत्र - सैकण्डरी
2. प्रमाणपत्र/उपाधि - सैकण्डरी
3. अंकपत्र - सीनियर सैकण्डरी
4. प्रमाणपत्र/उपाधि - सीनियर सैकण्डरी
5. अंकपत्र - स्नातक (बी0ए0/बी0कॉम0/बीएससी0/बीई0/बी0टैक/लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान, कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा / भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा /.....)(सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंक तालिकाएं कम से अपलोड की जानी आवश्यक है)

RajKaj Ref
9790943



6. प्रमाणपत्र/उपाधि – स्नातक (बी0ए0/बी0कॉम0/बीएससी0/बीई0/बी0टैक/लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान, कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा / भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा /
7. अंकपत्र – अधिस्नातक (एम0ए/एम0कॉम/एम0एस0सी0/एम0टैक /)(सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंक तालिकाएं क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है)
8. प्रमाणपत्र/उपाधि – अधिस्नातक (एम0ए/एम0कॉम/एम0एस0सी0/एम0टैक /
9. अंकपत्र – कम्प्यूटर योग्यता संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (मूल विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 06 में अंकितानुसार) (सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंक तालिकाएं क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है)
10. प्रमाणपत्र/उपाधि – कम्प्यूटर संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (मूल विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 06 में अंकितानुसार)
11. मूल निवास (गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए)/विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र (अनुसूचित क्षेत्र के लिए)
12. जाति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति0 पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र)
13. अन्य प्रमाण पत्र – दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ उत्कृष्ट खिलाडी हेतु खेल प्रमाण पत्र /विधवा (पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र)/परित्यक्ता (सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री)/ संतान संबंधी शपथ पत्र/भूतपूर्व सैनिक हेतु (पी.पी.ओ. डायरी/एन.ओ.सी.)/राजकीय कर्मचारी (सेवा प्रमाण पत्र व एन.ओ.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (02 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित)
14. शपथ पत्र:- जाति प्रमाण पत्र के संबंध में (बोर्ड की वेबसाइट पर Candidate corner में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार)(स्टाम्प पर, नोटेरी से सत्यापित)
15. हस्तलिपि:- (बोर्ड की वेबसाइट पर Candidate corner में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) (स्वयं प्रमाणित)
16. शपथ पत्र:- उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाये जाने एवं फर्जी/कूटरचित (forged) दस्तावेज पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में शपथ पत्र। (बोर्ड की वेबसाइट पर Candidate corner में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार)(स्टाम्प पर, नोटेरी से सत्यापित)

पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे :-

01. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर “अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश” एवं कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती-2023 के लिये दिनांक 20.06.2023 को जारी विज्ञापन संख्या 02/2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23.06.2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
02. दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है एवं कूटरचित (forged) नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाईन उपलब्ध Check List क्रम में ही अपलोड करें। कूटरचित (forged) दस्तावेजों के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध FIR दर्ज करायी जाएगी।
03. दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। **विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर, आवेदन में किये गये हस्ताक्षर के समान होने चाहिए।**
04. एक पीडीएफ में एक ही (प्रकार का) दस्तावेज क्रम में (अंक तालिका प्रथम, प्रथम की पूरक (यदि हो तो) द्वितीय, तृतीय, ... सेमेस्टर/वर्ष आदि) स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें, गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2MB (color) size में Flate Scanner/Computer Scanner से रंगीन स्कैन

**RajKaj Ref
9790943**

कर pdf अपलोड करें। Black & White/Grayscale/Blur/Filter लगाए गये अथवा मोबाइल से स्कैन किये गये टेडे-मेडे एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाईन WebTools का प्रयोग कर Srink किये गये, अस्पष्ट दस्तावेज के pdf मान्य नहीं किये जाएंगे। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएँ पूर्ण विवेक से सोच समझ कर भरें तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थियों को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही सुधार का अन्य कोई अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. ऑनलाईन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के दूरभाष संख्या 0141-2722520 अथवा 2722521 पर संपर्क करें। पात्रता जांच एवं दस्तावेजों के संबंध में विभाग के दूरभाष संख्या 0141-2740837 तथा ईमेल आईडी jacct.dta@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क करें। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गये मोबाइल, ईमेल एवं बोर्ड की वेबसाईट <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> / <https://rssb.rajasthan.gov.in> एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा की वेबसाईट dta.rajasthan.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें तथा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उक्त प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना के अभाव में यदि किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।

6. समस्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित विभाग द्वारा तिथि द गोषित किये जाने की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु निदेशालय, कोष एवं लेखा की वेबसाईट dta.rajasthan.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

RajKaj Ref
9790943